संख्या-17/2018/1452 जेड/6-सा-3-2018-24(विविध)/2018

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्,
लखनऊ|

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2018

विषय: **निदेशक/सचिव, उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, लखनऊ के उपयोगार्थ मोटर गाड़ी का क्रय किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक |**

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक आपके पत्र संख्या-2777/छ:-स्व०से०/2018, दिनांक 29-06-2018 एवं वित्तीय वर्ष **2018-19** में उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-9/2018/858जेड/6-सा-3-2018-50जी/17टीसी, दिनांक 01-04-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक/सचिव, उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, लखनऊ के उपयोगार्थ मोटर गाड़ी का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित **कुल धनराशि रू० 8,00,000 (रू० आठ लाख मात्र)** में से **रू० 6,40,156.51(छ: लाख चालीस हजार एक सौ छप्पन रू० इक्यावन पैसे मात्र)** की धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय का अधिकार नही हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3- उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पूर्ण व्यय-विवरण शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4- वाहन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक **23** अगस्त, **2017** के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (**GEM**) के माध्यम से किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

5- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

6- वाहन क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक कर लिया जायेगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक "2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1109 दिनांक 03-08-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2018/1452 (1)जेड/6-सा-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्ष) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद |
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद |
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
8- राजनैतिक पेंशन अनुभाग- 1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
9- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव

http://Sikshadeshup.nic.in